

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 347/2024

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. अंग्रेज सिंह पुत्र श्री जोरासिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।
2. सुखमन्द्र सिंह पुत्र श्री जोरासिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।

- वादी

बनाम

1. कबाल हिंस पुत्र श्री तीतर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
2. चरणजीतकौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
3. भोलासिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
4. लखवीर सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
5. सुखपाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
6. पृथ्वी सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
7. डिप्टी सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
8. हरगोविन्द सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 27.5.2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्रीमिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है. एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 10 एमजेडी

1. अंग्रेज सिंह, सुखमन्द्र सिंह पि. जोरासिंह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान बहिब के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
147/176	6	22/0.253, 23/0.165
147/177	17	2, 3/0.506 है.

2. भोलासिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
147/176	6	11/0.050 हे. पूर्वी पासा

3. लखवीर सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
147/176	6	18/0.101 है., 23/0.088 है.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

4. सुखपाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख सा.मोरजण्ड सिखान के कब्जा काश्त भूमि -

प.न.	मु.न.	किला नं.
147/176	6	19/1/0.007 है.

5. चरणजीतकौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जटसिख सा.मोरजण्ड सिखान के कब्जा काश्त भूमि -

प.न.	मु.न.	किला नं.
147/176	6	11/0.076 है. , 20/0.253 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/1469 दिनांक 27.03.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.5.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

~~सहायक क्लर्क~~ ~~हर्षव~~
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया